

15/10

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेसे होटल के पीछे

क्रमांक एफ 11(164) देव.यो./छात्रवृत्ति/सान्याअवि/10 / 26382 जयपुर, दिनांक:- 4.5.10

देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति (POST MATRIC SCHOLARSHIPS) नियम - 2010

राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अनुरूप विशेष पिछड़े वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाड़िया-लोहार, गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] के विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति (POST MATRIC SCHOLARSHIPS) के लिए निम्न प्रकार नियम बनाती है।

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रभावित क्षेत्र :-

- यह नियम विशेष पिछड़े वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया-लोहार, गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4.राईका, रैबारी (देबासी)] उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति (POST MATRIC SCHOLARSHIPS) नियम - 2010 कहलायेगे।
- यह नियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होंगे।
- यह नियम अप्रैल, 2010 से प्रभावी होंगे।

2. उद्देश्य- इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विशेष पिछड़े वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाड़िया-लोहार, गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] के विद्यार्थियों को दसवीं कक्षा के बाद के अध्ययन को पूर्ण करने के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

3. परिभाषाएं :-

- राज्य सरकार, से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।
- विभाग, से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार से है।
- प्रमुख शासन सचिव, से तात्पर्य प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान से है।

- iv आयुक्त, से तात्पर्य आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान से है।
- v अभ्यर्थी से तात्पर्य वह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष पिछड़े वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाड़िया-लोहार, गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4.राईका, रैबारी (देबासी)] का अभ्यर्थी है जिसका जन्म राजस्थान राज्य में हुआ हो या राज्य में 15 वर्षों से लगातार रह रहा हो तथा अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र हो।
- vi विशेष पिछड़े वर्ग से तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष पिछड़े वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाड़िया-लोहार, गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4.राईका, रैबारी (देबासी)] से है। इन नियमों में आगे प्रयुक्त विशेष पिछड़ा वर्ग का अभिप्राय इसके अनुरार ही लिया जायेगा।
- vii. जिलाधिकारियों से तात्पर्य जिले में पदस्थापित उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से है।
- viii. प्रभारी अधिकारी से तात्पर्य आयुक्तालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग स्तर पर योजना की कार्यवाही देख रहे अधिकारी से है।

4. पात्रता की शर्तें-

- i. छात्र राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।
- ii. विशेष पिछड़े वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाड़िया-लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] के विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विशेष पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- iii. आवेदक के माता-पिता/संरक्षक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय (अभ्यर्थी की स्वयं की आय को सम्मिलित करते हुए यदि है तो) 1,08,000 रूपये (शब्दों में एक लाख आठ हजार रूपये) तक हो। आय प्रमाण-पत्र तहसीलदार या उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी हो। नियोजित माता-पिता/संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी हो।



- iv. यह छात्रवृत्ति किसी राजकीय या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों (Post Matriculation or Post Secondary Courses) में अध्ययन हेतु देय होगी, लेकिन एयरक्राफ्ट मेन्टेनेंस इंजीनियर्स तथा प्राईवेट पायलट लाईसेंस पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण पोत डफरिन (वर्तमान में राजेन्द्रा) पर संचालित पाठ्यक्रमों, सैन्य महाविद्यालय देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा अखिल भारतीय और राज्य स्तर के पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रमों में यह छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी।
- v. कोई भी छात्र एक बार किसी भी विषय से कोई कक्षा पास कर लेने के बाद किसी दूसरे विषय से उसी स्तर में पढाई करने के लिए छात्रवृत्ति का पात्र नहीं होगा। जैसे बी.ए. करने के बाद बी.कॉम या अन्य विषय से ग्रेजुएशन करना इसी प्रकार एम.ए. किसी अन्य विषय में करने के लिए फिर छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी।
- vi. अगर छात्र ने किसी भी व्यवसायिक (Professional) क्षेत्र में अपनी पढाई पूरी करली हो तो फिर दूसरी व्यवसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का पात्र नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप बी.टी./ बी.एड. के बाद एल.एल.बी. के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति का पात्र नहीं होगा।
- vii. अगर कोई छात्र चिकित्सा में स्नातकोत्तर स्तर का अध्ययन कर रहा है तो वह छात्रवृत्ति का पात्र होगा, यदि पाठ्यक्रम के दौरान उसे प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं दी गई हो।
- viii. अगर कोई छात्र अन्तरस्नातक (Under-Graduate)/स्नातकोत्तर (Post-Graduation) विज्ञान/कला/वाणिज्य आदि विषयों की परीक्षा में असफल या सफल होने के बाद किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी प्रमाण-पत्र डिप्लोमा/डिग्री का व्यावसायिक पाठ्यक्रम में दाखिला लेता है तो छात्रवृत्ति लेने का पात्र होगा। अगर वह अन्य रूप से पात्र है। वर्ग '1' के अलावा किसी भी वर्ग में लगातार असफलता के बाद छात्रवृत्ति नहीं दी जावेगी।
- ix. जो छात्र अपना अध्ययन पत्राचार (Correspondence) के माध्यम से भी जारी रखते हैं, वे भी छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। पत्राचार शब्द में दूरस्थ तथा रातृत शिक्षा (Distance and Continuing Education) शामिल हैं।
- x. नियोजित छात्र जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान वेतन रहित छुट्टी लेकर पूर्ण कालिक छात्र के रूप में अध्ययन करता है वह छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा।
- xi. एक ही माता-पिता/संरक्षक के सभी बच्चे इस योजना से लाभान्वित होने के पात्र होंगे।
- xii. इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति/वृत्तिका नहीं लेंगे, अगर किसी छात्र को कोई दूसरी छात्रवृत्ति/वृत्तिका मिलती है, तो दोनों में से किसी एक लाभकारी विकल्प को चुन सकता है, तथा इस सम्बन्ध में अपने संस्थान के अधिकारी के माध्यम से छात्रवृत्ति के स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को अपने विकल्प चयन के

बारे में सूचित करना होगा। दूसरी छात्रवृत्ति/वृत्तिका स्वीकार करने के दिन से इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। तथापि छात्र इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त राज्य सरकार या अन्य स्रोतों से पुस्तकें, साधन (Equipment) क्रय, आवास एवं भोजन के व्यय हेतु अनुदान या तदर्थ वित्तीय सहायता के रूप में मदद स्वीकार कर सकता है।

- xiii. वह छात्र जो पहले ही केन्द्र/राज्य सरकार की आर्थिक सहायता से संचालित किसी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र से कोचिंग प्राप्त कर रहा है, वह छात्रवृत्ति का पात्र नहीं होगा।

नोट:- चूंकि यह स्पष्ट रूप से इस नियमन के भाग 4 (पात्रता की शर्तों) में शामिल किया जा चुका है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर के पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। पाठ्यक्रम की सूची वर्ग (1 से 4) केवल दृष्टांतीय है, सम्पूर्ण नहीं है, किसी विशेष पाठ्यक्रम की स्थिति किस वर्ग में होगी इस सम्बन्ध में आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

5. आय परीक्षण (आय सीमा):- (MEANS TEST)

देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति उन्हीं छात्रों को दी जायेगी, जिनके माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से एक लाख आठ हजार रुपये से अधिक नहीं है।

नोट:-

- i. यदि माता-पिता में से कोई भी जीवित (बेरोजगार विवाहित महिला छात्र के मामले में पति) हो, तो माता-पिता/पति की सभी स्रोतों से आय सम्मिलित की जायेगी, अन्य किसी भी सदस्य की आय को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इसी आधार पर आय की घोषणा की जायेगी। अगर छात्र के माता-पिता दोनों/बेरोजगार विवाहित महिला छात्रा के पति, की मृत्यु हो जावे, तो उनके संरक्षक जो उसकी पढ़ाई में मदद/सहायता कर रहे हों, तो उस संरक्षक की आय को मानते हुये छात्रवृत्ति दी जायेगी। ऐसे छात्र जिनके अभिभावकों की आय किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण प्रभावित हुई है, तो इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति के पात्र होंगे अगर वह पात्रता की अन्य शर्तों को पूरा करते हैं, और उन्हें यह छात्रवृत्ति दुर्घटना घटित होने के माह से दी जायेगी, जिस महीने में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। इस प्रकार के छात्रों के आवेदन पर विचार आवेदन करने की अन्तिम तिथि के बाद भी सहानुभूति के आधार पर किया जा सकता है।
- ii. यदि मकान किराया भत्ता आयकर के अभिप्राय से माफ किया जा चुका है, तो छात्र के अभिभावक के द्वारा माफ किया गया मकान किराया भत्ता को आय के साथ नहीं जोड़ा जायेगा।

- iii. ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अवधि एक वर्ष से अधिक है, उन पाठ्यक्रमों हेतु आय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय केवल एक ही बार लेना आवश्यक है।
- iv. आय प्रमाण-पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो। राजकीय सेवा में कार्यरत होने पर सम्बन्धित विभाग के कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया हो।

6. छात्रवृत्ति की राशि (VALUE OF SCHOLARSHIP)

छात्रवृत्ति की राशि में पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु अनुरक्षण भत्ता, निशक्त छात्रों हेतु अतिरिक्त भत्ता व अनिवार्य अप्रतिदेय (Non Refundable) फीस का पुनर्भरण, अध्ययन भ्रमण व्यय, शोध, टंकण एवं मुद्रण व्यय, पत्राचार पाठ्यक्रम से अध्ययन करने हेतु पुस्तक भत्ता तथा स्पष्ट रूप से उल्लेखित पाठ्यक्रमों हेतु बुक बैंक सुविधा सम्मिलित है। विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं:-

1. निर्वाह/अनुरक्षण भत्ते की दर (प्रतिमाह)

विशेष पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों का समूहीकरण तथा देय निर्वाह/अनुरक्षण भत्ते की दरें।

पाठ्यक्रमों का समूहीकरण	निर्वाह/अनुरक्षण भत्ते की दर (प्रतिमाह)	
समूह "1" चिकित्सा शास्त्र (एलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों), अभियान्त्रिकी, प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु-चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञानों, प्रबंधन, व्यावसायिक वित्त, व्यावसायिक प्रशासन तथा कंप्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान। में डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय (एम.फिल., पी.एच.डी. तथा पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान को सम्मिलित करते हुए) पाठ्यक्रम। वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलीकॉप्टर पायलट तथा मल्टी इंजिन रेटिंग) पाठ्यक्रम	छात्रावासी	डे-स्कॉलर
	740 रुपये	330 रुपये
समूह "2" समूह "1" में शामिल न किये गये अन्य व्यावसायिक (Professional) तथा तकनीकी स्नातक तथा स्नातकोत्तर (एम.फिल., पी.एच.डी. तथा पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान) स्तरीय पाठ्यक्रम। सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस. आदि पाठ्यक्रम। सभी स्नातकोत्तर, स्नातक स्तरीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सभी प्रमाणपत्र स्तरीय पाठ्यक्रम।	510 रुपये	330 रुपये

<p>समूह "3"</p> <p>स्नातक या इससे अधिक की डिग्री के सभी अन्य पाठ्यक्रम (जो समूह "1" तथा "2" में शामिल नहीं किये गये हैं)।</p> <p>समूह "4"</p> <p>समूह "2" या "3" में शामिल न किये गये 10+2 पद्धति में कक्षा 11 तथा 12 और इंटरमीडिएट परीक्षा आदि जैसे ग्रेजुएशन करने से पूर्व के सभी मैट्रिकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम। आई.टी.आई. पाठ्यक्रम, अन्य व्यावसायिक (Professional) पाठ्यक्रम (यदि पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए न्यूनतम अपेक्षित अर्हता कम से कम मैट्रिकुलेशन हो)।</p>	<p>355 रूपये</p> <p>235 रूपये</p>	<p>185 रूपये</p> <p>140 रूपये</p>
--	-----------------------------------	-----------------------------------

नोट:-

- i. **Commercial Pilot License Course (CPL)**—व्यावसायिक विमान चालक लाइसेन्स(सी.पी.एल.) पाठ्यक्रम ग्रुप '1' के अन्तर्गत आता हैं। सी.पी.एल. में छात्रवृत्ति की संख्या प्रति वर्ष एक होगी इसके लिए सम्बन्धित छात्रों से आवेदन प्राप्त किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत छात्रों की पात्रता निर्धारित करने के लिए आवेदन पत्रों की छंटनी की जायेगी। उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पूरे प्रदेश से प्राप्त आवेदन पत्रों में से चयनित एक छात्र को छात्रवृत्ति दी जावेगी। चयनित छात्र को ग्रुप '1' पाठ्यक्रम में निर्धारित दर के हिसाब से अनुरक्षण भत्ता उपलब्ध कराया जाता हैं। अनुरक्षण भत्ता छात्रावास में रहने वाले छात्रों को 740 रूपयें प्रति माह तथा डे-स्कालर को 330 रूपये प्रति माह की दर से दिया जाता हैं। इसके अलावा सभी अनिवार्य शुल्क देय होगा।
- ii. एम फिल और पी.एच.डी. पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हैं। इस प्रकार के छात्र को समूह "1", "2" पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अनुरक्षण भत्ता की दर से छात्रवृत्ति दी जा सकती हैं। यह इन वर्गों के अन्तर्गत आने वाले पाठ्यक्रम पर निर्भर करेगा।
- iii. सामान्यतया छात्रावास का आशय छात्रों के लिए शैक्षणिक संस्थान के प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में चलने वाला सार्वजनिक आवासीय भवन और सार्वजनिक भोजनालय (Mess) से हैं। ऐसी परिस्थिति में जहां शिक्षण संस्थान के प्राधिकारी छात्रावास में स्थान उपलब्ध करवाने में असमर्थ हो, तो उस स्थिति में प्राधिकृत

Yhs

अधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य रहने की जगह को इस योजना के तहत छात्रावास माना जायेगा, परन्तु ऐसी जगह संस्था प्रधान के द्वारा निरीक्षण के बाद अनुमोदित होनी चाहिये, तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र उस छात्र के सम्बन्ध में दिया जाना होगा, कि इस छात्र को शिक्षण संस्थान में जहां वह अध्ययनरत है, को छात्रावास में स्थान देने में वे असमर्थ हैं। आगे यह स्पष्ट किया जाता है, कि इस प्रकार के छात्रावास जो किराये पर लिया गया है में कम से कम एक साथ पाँच छात्रों की रहने की व्यवस्था है तथा उनके लिए सार्वजनिक मैस की व्यवस्था है।

- iv. मुफ्त आवास या भोजन की सुविधा दिये जाने वाले छात्रों को छात्रावासी अनुरक्षण भत्ते एक तिहाई दर से दिये जायेंगे।

2. विशेष पिछड़े वर्ग के निःशक्त छात्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधान:-

(क) नेत्रहीन छात्रों के लिए पाठक भत्ता (Reader Allowance)

पाठ्यक्रम का स्तर	पाठक भत्ता (रूपये प्रतिमाह)
ग्रुप 1,2.	150
ग्रुप 3	125
ग्रुप 4	100

(ख) विकलांग छात्र अगर शैक्षणिक संस्था के परिसर में बने छात्रावास में नहीं रहे हो तो उनके लिए सौ रूपये प्रतिमाह तक का यात्रा भत्ता का प्रावधान है। निःशक्त के अन्तर्गत निःशक्तजन विकलांगता, (समान अवसर वाले अधिकारों की सुरक्षा एवं सम्पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुसार दृष्टिहीन, अल्पदृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति हास, चलन निःशक्तता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी आती हैं।

(ग) अल्प चरम निःशक्तता से ग्रस्त अत्यधिक विकलांगता वाले डे-स्कालर के लिए अनुरक्षक (Escort) भत्ते के रूप में सौ रूपये प्रतिमाह दिये जायेंगे।

(घ) शिक्षण संस्थान के छात्रावास के किसी भी कर्मचारी (Employee) को, जो अत्यधिक अस्थि विकलांग छात्रावासी छात्र, जिसे मददगार की सहायता की आवश्यकता हो की छात्रावास में मदद करने की इच्छा रखता हो, के लिए सौ रूपये प्रतिमाह तक का विशेष वेतन देय है।

(ङ) मानसिक रूप से बीमार व मानसिक मंदता वाले छात्रों को अतिरिक्त कॉचिंग के लिए 150 रूपये प्रतिमाह अतिरिक्त भत्ता दिया जायेगा।

(ख) से (घ) तक में निहित प्रावधान कुष्ठ रोग मुक्त छात्रों पर भी लागू होंगे।

नोट:-

- (1) इस योजना के तहत सुविधा पाने वाले विशेष पिछड़े वर्ग के निःशक्त छात्र दूसरी योजनाओं जिनका इस योजना में समावेश नहीं है के तहत भी अतिरिक्त सुविधा पा सकते हैं।
- (2) निःशक्तजन अधिनियम, 1995 में परिभाषित विकलांगता का राज्य सरकार के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

3. शुल्क (Fees):-

संस्था, विश्वविद्यालय/बोर्ड को अनिवार्य रूप से दिए जाने वाले नामांकन/पंजीकरण, शिक्षण, खेल, यूनियन, पुस्तकालय, पत्रिका, चिकित्सा, परीक्षण व इस तरह के अन्य अनिवार्य शुल्क, छात्रों को भुगतान किये जायेंगे। तथापि इसमें प्रतिदेय (Refundable) शुल्क जैसे कौशन मनी, शुल्क, सुरक्षा जमा (Security Deposit) शुल्क को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

नोट:-

केन्द्र/राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित फीस संरचना के अनुसार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में निःशुल्क (Free) सीट व भुगतान (Paid) सीट पर लिये गये अनिवार्य अप्रतिदेय (Non-Refundable) शुल्कों का पुनर्भरण किया जावेगा तथापि भुगतान सीटों पर छात्रवृत्ति स्वीकृत करने से पूर्व आय का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

4. अध्ययन से सम्बन्धित यात्रा (Study Tours):-

व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अध्ययन से सम्बन्धित यात्रा भत्ता, परिवहन व्यय आदि के लिये अधिकतम 1000 रुपये (वारस्तविक खर्च की सीमा तक) दिया जावेगा बशर्ते की संस्था प्रधान यह सत्यापित करे कि छात्र को अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के लिये सम्बन्धित यात्रा अनिवार्य है।

5. शोध प्रबन्ध तथा छपाई शुल्क (Thesis Typing/Printing Charges):-

संस्था प्रधान की अनुशंसा पर छात्रों को अपना शोध प्रबन्ध की टंकण तथा मुद्रण के लिए अधिकतम 1000 रुपये तक भुगतान किया जाएगा।

6. दूरस्थ एवं सतत् शिक्षा को सम्मिलित करते हुए पत्राचार पाठ्यक्रम (Correspondence Courses including distance and continuing education):-

वे छात्र भी जो इस प्रकार के पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत अध्ययनरत हैं, के प्रावधान के मुताबिक जरूरी/प्रस्तावित किताबों के लिए 750 रुपये का वार्षिक भत्ता के पात्र होंगे। इसके अलावा उन्हें पाठ्यक्रमों के शुल्क का पुनर्भरण कर दिया जाएगा।

7. बुक बैंक (Book Bank):-

समस्त आयुर्विज्ञान, अभियान्त्रिकी कृषि, लॉ एवं पशुचिकित्सा के डिग्री कॉलेजों तथा सनदी लेखाकन एम.बी.ए. एवं समस्त प्रबन्धकीय पाठ्यक्रमों तथा पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों, जहाँ विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त कर

रहे हैं, बुक बैंक की स्थापना की जायेगी। दो छात्रों हेतु एक पाठ्य पुस्तकों का सैट क्रय किया जावेगा। स्नातकोत्तर तथा सनदी लेखांकन पाठ्यक्रमों में एक विद्यार्थी हेतु एक सैट उपलब्ध कराया जायेगा। तथापि पुस्तकों के सैट एवं विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात उपलब्ध संसाधनों के दृष्टिगत समायोजन (Adjust) किया जा सकेगा।
विवरण निम्न प्रकार हैं।

डिग्री कोर्स :- दो छात्रों पर एक सैट जिसकी सीलिंग राशि प्रति सैट या वास्तविक लागत जो भी कम हो देय होगी।

क्र. स.	डिग्री कोर्स	सीलिंग प्रति सैट रूपये
1.	मेडिकल	7500
2.	इन्जिनियरिंग	7500
3.	वेटनरी	5000
4.	एग्रीकल्चर	4500
5.	पोलिटेक्निक	2400

पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स:- एक सैट प्रति विद्यार्थी जिसकी सीलिंग राशि प्रति सैट या वास्तविक लागत जो भी कम हो देय होगी।

क्र.स.	पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स	सीलिंग प्रति सैट रूपये
1.	मेडिकल इन्जिनियरिंग एग्रीकल्चर वेटनरी और अन्य तकनीकी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हो।	5000 प्रति छात्र एक सैट
2.	लॉ कोर्स एल.एल.बी.(3 वर्ष एवं 5 वर्ष) एल.एल.एम. (2 वर्ष)	5000 प्रति छात्र एक सैट
3.	चार्टर्ड एकाउटेन्सी (इन्टर मिडिएट एवं फाईनल)	5000 प्रति छात्र एक सैट
4.	एम.बी.ए. (2 वर्ष) एवं समस्त पाठ्य क्रम	5000 प्रति छात्र एक सैट
5.	बायो साइन्स	5000 प्रति छात्र एक सैट

किताबों को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक बुक बैंक हेतु स्टील अलमारी आकस्मिक व्यय जैसे परिवहन आदि के लिए निम्न प्रकार के खर्च स्वीकृत होंगे।

(i) 2000 रूपये या वास्तविक लागत जो भी कम हो।

(ii) अनुदान की 5 प्रतिशत राशि बाईंडिंग, टीचिंग आदि के व्यय हेतु।

नोट:-

- उपरोक्त किताबों के सैट में Braille Books , Talking Books Cassettes for the visually Handicapped students. भी सम्मिलित होगी।

2. बुक बैंक सभी मान्यता प्राप्त कॉलेज/संस्थाएँ जहाँ ये कोर्स मान्यता प्राप्त कोर्स के रूप में चलाये जा रहे हैं, स्थापित होंगे।
3. बुक बैंक में खरीदी जाने वाली किताबों में सम्पूर्ण कोर्स हेतु निर्धारित (Prescribed) पाठ्य पुस्तकों के खरीदने तक सीमित होंगी।
4. बुक बैंक में खरीदी जाने वाली किताबों हेतु मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं/विश्वविद्यालय में विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित की जाये, जो प्रत्येक कोर्स हेतु खरीदी जाने वाले किताबों के सैंट निर्धारित करेगी जिसमें सन्दर्भ पुस्तकें सम्मिलित नहीं होंगी।
5. बुक बैंक हेतु खरीदी जाने वाली किताबों के एक सैंट की आयु (Life Period) 3 वर्ष की होगी, उसके पश्चात् शिक्षण संस्थान द्वारा राज्य सरकार द्वारा पुस्तकालय हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार पुस्तकों का निस्तारण किया जाये।
6. विशेष पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को किताबें कोर्स, सैमेस्टर संरचना के अनुसार किशतों में वितरित की जायेगी।
7. छात्रों में बुक बैंक की किताबों के वितरण हेतु निम्न नियम लागू होंगे:—
 - i. उक्त प्रयोजन हेतु उपरोक्त विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्र पहचान पत्र जारी किये जायेंगे।
 - ii. उपरोक्त वर्णित छात्रों को बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप में अनुरोध पत्र देना होगा।
 - iii. उपरोक्त वर्णित विद्यार्थियों को बुक बैंक से ली गई किताबों को प्रत्येक सत्र (Term) के पश्चात् जमा करानी होगी। कोर्स पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों से या बुक बैंक से जारी किताबों को वापस जमा कराने को सुनिश्चित करने हेतु कॉलेज/शिक्षण संस्थान के प्राचार्य को पूर्ण प्रयास करने होंगे, साथ ही जो विद्यार्थी कोर्स को बीच में ही छोड़ देते हैं, उन्हें भी बुक बैंक में किताबें वापस जमा करानी होंगी।
 - iv. बुक बैंक से जारी पुस्तकों को अच्छी/सुरक्षित स्थिति में रखने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विद्यार्थी का होगा।
 - v. बुक बैंक द्वारा जारी पुस्तकें विद्यार्थियों से खोने (गुम होने) अथवा क्षतिग्रस्त होने पर किताबों की पूर्ण लागत सम्बन्धित छात्र से वसूल की जायेगी।

7. अभ्यर्थी का चयन:—

- i. सभी पात्र विशेष पिछड़े वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाड़िया—लोहार, गाड़ोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] के छात्रों को जो नियमों एवं पात्रता की शर्तों को पालना पूर्ण करते हैं, छात्रवृत्ति देय होगी।
- ii. उपरोक्त वर्णित छात्रों को जो कि राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं परन्तु राज्य के बाहर अध्ययनरत हैं, सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करने पर छात्रवृत्ति

देय होगी। फीस एवं अन्य छूट भी इस प्रकार मान्य होगी जैसे छात्र स्वयं के राज्य में अध्ययन कर रहा हो।

8. छात्रवृत्ति की अवधि तथा नवीनीकरण

- i. छात्रवृत्ति नियमित उपस्थिति एवं अच्छे आचरण की शर्त पर उस चरण से जहाँ से दी गई हैं, से पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए देय होगी, जब पाठ्यक्रम एक से अधिक वर्ष की अवधि का है, नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष किया जायेगा, तथा यह पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक लगातार होता रहेगा, अगर छात्र आगामी उच्च कक्षा में कक्षोन्नति प्राप्त करता रहे, बिना इस बात से प्रभावित हुए कि परीक्षा विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा जिसने भी करवायी हों।
- ii. ग्रुप-1 कोर्स में अध्ययन करने वाले विशेष पिछड़े वर्ग के छात्र अगर पहली बार परीक्षा में असफल हो जाता है तो भी छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जा सकता है, परन्तु किसी भी कक्षा में दूसरी बार या लगातार असफल होने पर उन छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नति करने तक सारा खर्च खुद उठाना होगा।
- iii. अगर कोई छात्र बीमार होने अथवा किसी आकस्मिक/अप्रत्याशित कारण से वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है, उस स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए उसकी छात्रवृत्ति की नवीनीकरण की जा सकती है लेकिन छात्र को परीक्षा में शामिल नहीं होने के कारण का समुचित प्रमाण अथवा चिकित्सा प्रमाण-पत्र अपने संस्थान के प्रमुख की सुन्तष्टि के लिए जमा करना होगा तथा संस्थान के प्रमुख को सत्यापित करना होगा कि अगर छात्र परीक्षा में शामिल होता तो यह अवश्य ही सफल होता।
- iv. अगर विश्वविद्यालय/संस्थान नियम के अनुसार किसी छात्र को पिछली कक्षा में असफल होने के बावजूद अगली कक्षा में प्रोन्नति मिल जाती है जबकी कुछ समय बाद पुनः उस छात्र को पिछली कक्षा की परीक्षा देनी होगी, वह अगली कक्षा की छात्रवृत्ति का पात्र होगा, अगर छात्र अन्य मामलों में छात्रवृत्ति लेने का पात्र हो।

9. भुगतान:-

- i. योजनान्तर्गत अनुरक्षण भत्ता शैक्षणिक सत्र में 1 अप्रैल अथवा प्रवेश की तिथि जो भी बाद में हो, से देय होगा (अनुरक्षण भत्ता में अवकाश भी शामिल होंगे)। यदि छात्र अपना प्रवेश महीने की 20 तारीख के बाद करवाता है तो छात्रवृत्ति की रकम प्रवेश के अगले महीने से ही दी जायेगी। 20 तारीख तक प्रवेश लेने पर छात्रवृत्ति की राशि प्रवेश के महीने से दी जायेगी।
- ii. अगर पूर्व वर्ष की छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जाता है, तो अनुरक्षण भत्ता पिछले वर्ष के जिस माह तक छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है उसके अगले माह से देय होगा, यदि उस पाठ्यक्रम की पढाई सतत जारी है।

- iii. अगर कोई छात्र एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम या अन्य पाठ्यक्रम में प्रशिक्षुता (Internship/ Housemanship) के दौरान किसी प्रकार का आर्थिक लाभ उठाता है तो उस अवधि के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति की अदायगी नहीं की जाएगी।

भुगतान प्रक्रिया:-

1. छात्रवृत्ति का भुगतान आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित उसके स्वयं के बैंक खातों में ही किया जायेगा। आवेदक अपना बैंक खाता अपनी सुविधानुसार किसी भी बैंक में खुलवा सकता है। बैंक विशेष की बाध्यता नहीं होगी। बैंक द्वारा विद्यार्थी के बैंक खातों में राशि स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कमीशन काटा जाता है तो वह स्वयं विद्यार्थी को वहन करना होगा।
2. छात्रवृत्ति भुगतान के संबंध में छात्र/छात्रा के नाम से डिमाण्ड ड्रफ्ट के माध्यम से भुगतान किये जाने की स्थिति में भुगतान करने के पश्चात् मूल Acquittance roll संस्था प्रधान से प्रमाणित होने पर ही छात्रवृत्ति के भुगतान का प्रमाणीकरण माना जायेगा।
3. स्वीकृतकर्ता अधिकारी सम्बन्धित शिक्षण संस्था को छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश की प्रति भी पृष्ठांकित करेगा।

10. छात्रवृत्ति के लिए अन्य शर्तें:-

- i. छात्रवृत्ति छात्र के आचरण तथा सन्तोष जनक प्रगति पर निर्भर रहेगी। संस्था प्रधान द्वारा यदि किसी छात्र के बारे में संतोषजनक प्रगति न होने, किसी हड़ताल में शामिल होने के फलस्वरूप दोषी पाये जाने पर या प्राधिकृत अधिकारी की बिना अनुमति अनुपस्थित/अनियमित रहने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी उस छात्र की छात्रवृत्ति को निरस्त कर सकेगा या उस अवधि के लिये रोक सकेगा, जैसा वह उचित समझे।
- ii. अगर कोई छात्र गलत तथ्यों के आधार पर छात्रवृत्ति लेते हुए पाया गया हो तो उसकी छात्रवृत्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा छात्रवृत्ति की जितनी रकम दी गई है, वापस ले ली जायेगी। इस तरह के क्रिया कलाप से सम्बन्धित छात्र को हमेशा के लिए किसी भी योजना के अन्तर्गत किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (Debarred) कर दिया जायेगा तथा उसे काली सूची (Black List) में डाल दिया जायेगा।
- iii. अगर कोई छात्र राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना उस विषय या पाठ्यक्रम में परिवर्तन करता है, जिसके लिए उसे छात्रवृत्ति दी गई तो उसकी छात्रवृत्ति निरस्त की जा सकती है। संस्था प्रधान इस मामले में उस छात्र को सूचित करेगा। तथा छात्रवृत्ति की राशि को रोक देगा। जो राशि पहले से दी जा चुकी है वह भी राज्य सरकार के विवेकानुसार वापस कर लिया जायेगा।

- iv. अगर कोई छात्र पाठ्यक्रम वर्ष के दौरान अपना अध्ययन जिसके लिए उसे छात्रवृत्ति दी जा चुकी है, बीच में छोड़ देता है तो वह राज्य सरकार के विवेकानुसार छात्रवृत्ति की ली गयी राशि को वापस करने के लिए बाध्य है।
- v. राज्य सरकार के विवेकानुसार नियमों में किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है।

11. योजना की उद्घोषणा :-

राज्य सरकार जून-जुलाई में इसकी घोषणा करेगी, योजना का विस्तृत विवरण तथा आवेदन के लिए आमंत्रण की सूचना राज्य के महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम तथा अन्य माध्यमों से दी जायेगी। आवेदन पत्र तथा अन्य किसी विवरण के लिए सभी अनुरोध प्रत्याशी को जिले के जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/राजकीय शिक्षण संस्थानों के संस्था प्रधानों/स्वीकृति कर्ता अधिकारी से करना चाहिए। प्रत्याशी द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन अन्तिम तिथि से पहले निर्धारित अधिकारी के पास पहुँच जाना चाहिए।

12. आवेदन करने की प्रक्रिया:-

- (1) छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने आवश्यक हैं।
 - (i) निर्धारित प्रारूप में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की एक प्रति ("नया"(New) तथा "नवीनीकरण" (Renewal) छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित अलग-अलग आवेदन पत्र हों।)
 - (ii) छात्र द्वारा हस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार की फोटो की एक प्रति (नई छात्रवृत्ति के लिए) जो संस्था प्रधान से प्रमाणित हो।
 - (iii) उत्तीर्ण की गई सभी परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री की एक-एक सत्यापित प्रति।
 - (iv) जाति प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति (जो तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो)।
 - (v) आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति (तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति)।
 - (vi) बैंक पास बुक की फोटो प्रति।
 - (vii) फीस की मूल रसीद।
 - (viii) गैप प्रमाण पत्र (अगर छात्र की नियमित अध्ययन अवधि में किसी वर्ष गैप रहा है तो उसके कारण का उल्लेख करते हुए स्वयं का एक शपथ पत्र संलग्न करेगा)।
- (2) सभी सन्दर्भों से पूरा किया गया आवेदन उस संस्थान के प्रमुख के पास जमा किया जायेगा जिससे छात्र या तो संबंधित है या अन्त में संबंधित था। यह

आवेदन उस अधिकारी के नाम भेजा जायेगा जिसको इस अभिप्राय के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया है।

- (3) यदि विभाग द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद किसी आवेदक का प्रवेश होता है या पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो, प्रवेश तिथि के 30 दिवस तक संबंधित शिक्षण संस्थान छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता कार्यालय में मय सॉफ्टकॉपी के आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे।

13. आवेदक द्वारा कहां आवेदन किया जायेगा—स्वीकृतकर्ता अधिकारी

- i. राजकीय महाविद्यालयों/राजकीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को राजकीय महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में आवेदन पत्र जमा कराना होगा। इन महाविद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी।
- ii. निजी महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को संबंधित महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों के माध्यम से संबंधित जिले, जहां शिक्षण संस्थान स्थित है, के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कराना होगा। जिलाधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी।
- iii. कक्षा 11 व 12 एवं राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा को बजट आवंटित किया जावेगा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी, संस्था प्रधानों के माध्यम से छात्रवृत्ति वितरण करेंगे।
- iv. संस्कृत शिक्षा की कक्षा 11 व 12 एवं राजकीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए निदेशक संस्कृत शिक्षा को बजट आवंटित किया जावेगा, निदेशक संस्कृत शिक्षा, अपने अधीनस्थ शिक्षा अधिकारी, संस्था प्रधानों के माध्यम से छात्रवृत्ति वितरण करेंगे।
- v. राजकीय ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु निदेशक (प्रशिक्षण) प्राविधिक शिक्षा, जोधपुर को बजट आवंटित किया जावेगा, निदेशक (प्रशिक्षण) प्राविधिक शिक्षा, प्राचार्य/अधीक्षक के माध्यम से छात्रवृत्ति वितरण करेंगे।
- vi. राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों हेतु निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर को बजट आवंटित किया जावेगा, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, प्राचार्य के माध्यम से छात्रवृत्ति वितरण करेंगे।
- vii. राजस्थान राज्य के विशेष पिछड़े वर्ग के छात्र जो अन्य राज्यों की राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत हैं, गृह जिले के जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन करेंगे। सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी।

सम्बन्धित अधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की पात्रता की जाँच के उपरान्त छात्रवृत्ति स्वीकृत की जायेगी एवं रिकार्ड का संधारण किया जायेगा। सभी

प्राप्त आवेदन पत्रों का प्राप्त होने पर इन्द्राज रजिस्टर में प्रतिदिन किया जावेगा सभी स्वीकृत आवेदन पत्रों का रजिस्टर में रिकार्ड संधारण किया जावेगा। छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र प्राप्त होते ही स्वीकृति की कार्यवाही आरम्भ कर दी जावेगी, आवेदन पत्रों को निर्धारित अन्तिम तिथी तक एकत्रित होने का इन्तजार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र यदि किसी कमी के कारण अस्वीकृत किया जाता है, उसका स्पष्ट उल्लेख आवेदन पत्र पर किया जावेगा एवं संधारित रजिस्टर में अस्वीकृति का कारण अंकित किया जावेगा।

14. योजना का आर्थिक प्रारूप:-


यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है, अतः इस योजना के अन्तर्गत सारा खर्च का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। वर्ष 2010-11 के लिए इस योजनान्तर्गत 25 करोड़ रुपये को प्रावधान रखा गया है।

15. योजना की मोनिटरिंग एवं बजट आवंटन :-

देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन, मोनिटरिंग एवं जिलाधिकारियों को बजट आवंटन की कार्यवाही प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी।

16. नियमों का विनिर्णय :-

इन नियमों की व्याख्या प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जावेगी, वही अन्तिम एवं बाध्यकारी मानी जावेगी, किसी भी विवाद में प्रमुख शासन सचिव का निर्णय अन्तिम होगा।


आयुक्त एवं शासन सचिव

३/०७/१०

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर
फोन 0141-2226632 फैक्स 0141-2226631 E-mail : sjerajasthan@yahoo.co.in

- क्रमांक:- एफ 11(164) दे.यो./दि.पि.उ.मै.छा./सान्याअवि/10/5025-288 दिनांक:- 28/11/2011
1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
 2. निदेशक, प्रशिक्षण तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर।
 3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 4. प्राचार्य, राजकीय..... महाविद्यालय.....।
 5. प्रधानाचार्य, राजकीय..... पॉलिटेक्निक महाविद्यालय.....।
 6. अधीक्षक/जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी.....।
 7. प्राचार्य..... मेडीकल कॉलेज.....।
 8. उप निदेशक/सहायक निदेशक/ जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग समस्त.....।

विषय:- विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति (POST MATRIC SCHOLARSHIPS) में वार्षिक आय सीमा बढ़ाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विशेष पिछड़ा वर्ग [1. बजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया- लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति नियम 2010 के बिन्दु संख्या-5 आय परीक्षण (आय सीमा) (MEANS TEST) में वार्षिक आय सीमा सभी स्रोतों से 1,08,000 रुपये से बढ़ाकर 1,44,000 रुपये (एक लाख चव्वालीस हजार रुपये मात्र) संशोधित की जाती है (वर्ष 2010-11 से प्रभावी)। अतः इसी अनुरूप वर्ष 2010-11 से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों में छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावें।

- क्रमांक:- एफ 11(164) दे.यो./दि.पि.उ.मै.छा./सान्याअवि/10/5281-346 दिनांक:- 28/11/2011
- आयुक्त
- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
 2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, शासन सचिवालय, जयपुर।
 3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
 4. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
 6. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 7. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
 8. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
 9. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
 10. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
 11. प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
 12. प्रमुख शासन सचिव, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
 13. जिला कलक्टर समस्त।
 14. रजिस्ट्रार.....।
 15. संयुक्त निदेशक (योजना)/ मुख्य लेखाधिकारी/ उप निदेशक (पि.जा.)/ एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/ सहायक निदेशक (जन सम्यर्क)/ सहायक निदेशक (शिक्षा) मुख्यावास।

संयुक्त निदेशक (देव.यो.)